

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या 04/2024 खाद्य सुरक्षा
उनवान प्रकरण

सरकार जरिये प्रेमचन्द शर्मा खाद्य सुरक्षा
अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा

बनाम

1. परवेश चौधरी पुत्र सुरेन्द्र चौधरी मैसर्स रिलायंस रिटेल लिमि., ग्राउण्ड फ्लोर सुरभी स्कवेयर गायत्री आश्रम के सामने, अजमेर रोड, भीलवाड़ा
2. ओम सिंह राजपुरोहित मैसर्स रिलायंस रिटेल लिमि., ग्राउण्ड फ्लोर सुरभी स्कवेयर गायत्री आश्रम के सामने, अजमेर रोड, भीलवाड़ा
3. सन्तोष शर्मा (प्रोप.) मैसर्स श्री मुकेश एन्टरप्राइजेज 444, सचिवालय विहार, रिको इण्डस्ट्रियल एरिया के सामने, न्यू सांगानेर रोड, मानसरोवर, जयपुर - 302020
4. अलीशा गुप्ता (नोमिनी) मैसर्स एकजिम आयुर्वेद प्रा. लिमि. वार्ड - रामपुर सरसेरी रोड, अम्बाला कान्ट - 133001 (हरियाणा)

- प्रार्थी

-विपक्षी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय
धारा 52

उपस्थित-

- 1 प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार
- 2 विपक्षी संख्या 01 स्वयं उपस्थित
- 3 श्री अभिन्यू जोशी अधिवक्ता - विपक्षी संख्या 02 की ओर से
- 4 श्री पवन पंवार अधिवक्ता - विपक्षी संख्या 03 व 04 की ओर से

आदेश

दिनांक 29.11.2024

शासन उप सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 25.07.2011 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर ने विपक्षी के विरुद्ध एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया है कि विपक्षी परवेश चौधरी पुत्र सुरेन्द्र चौधरी मैसर्स रिलायंस रिटेल लिमि., ग्राउण्ड फ्लोर सुरभी स्कवेयर गायत्री आश्रम के सामने, अजमेर रोड, भीलवाड़ा पर निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को घी तेल फ्रूट ड्रिंक आदि का विक्रय कर रहा था। परवेश चौधरी पुत्र सुरेन्द्र चौधरी मैसर्स रिलायंस रिटेल लिमि., ग्राउण्ड फ्लोर सुरभी स्कवेयर गायत्री आश्रम के सामने, अजमेर रोड, भीलवाड़ा का निरीक्षण करने पर पाया गया कि विक्रेता फर्म पर Fruit Drink (Alo Frut) पैकेट विक्रय हेतु रखा पाया



ओर से जवाब पेश किया गया। प्रकरण में विभागीय पैरोकार उपस्थित। विपक्षी एवं विपक्षी अधिवक्ता उपस्थित है।

विभागीय पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षी का खाद्य नमूना Fruit Drink (Alo Frut) मिसब्राण्डेड होना पाया गया है। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार लिये गये खाद्य नमूने में Fruit Drink (Alo Frut) में Nutrition information – Given but perecentage contribution of RDA & quantity of Sòdium is not mention on label of sample. Contravention of Regulation No. 5 (3)(b)(ii)(D) of food safety and standards (Labeling and display) regulations 2020 chapter-2. Use By/Expiry – Absent. Contravention of Regulation No. 5 (10)(a) of food safety and standards (Labeling and display) regulations 2020 chapter-2. पाया गया। इसलिए लिये गया खाद्य नमूना मिसब्राण्डेड होना पाया गया एवं विपक्षी द्वारा मिसब्राण्डेड Fruit Drink (Alo Frut) का विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 52 में निर्धारित है। प्रार्थी की ओर से न्याय निर्णयन आवेदन पत्र विपक्षी के विरुद्ध जुर्माना आरोपित करते हुये आवेदन पत्र का निर्णय कराने की प्रार्थना की है। खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा नमूना लिये जाने वाली फर्म को रजिस्टर्ड पत्र मय जाँच रिपोर्ट प्रेषित करते हुये पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के समय देते हुये नोटिस दिया गया, किन्तु नमूना लिये जाने वाली फर्म द्वारा जाँच रिपोर्ट के खण्डन में किसी भी प्रकार की अपील हेतु आवेदन नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता है कि विपक्षी जाँच रिपोर्ट से संतुष्ट है।

विपक्षी संख्या 01 व 02 ने अपनी बहस में बताया कि वे उक्त सामग्री के रिटेलर हैं, जोकि पैक माल खरीदकर पैक अवस्था में ही विक्रय किया जाता है। प्रिन्ट की जिम्मेदारी निर्माणकर्ता पर होती है। एक्सपायरी डेट देखकर ही सामग्री क्रय की थी। विपक्षी संख्या 01 व 02 की कोई गलती नहीं है। विपक्षी संख्या 01 व 02 को उक्त प्रकरण में माफी प्रदान करावें। विपक्षी संख्या 03 व 04 ने अपनी बहस में बताया कि फूड एनालिस्ट की रिपोर्ट अनुसार खाद्य पदार्थ में कोई मिलावट नहीं पायी गयी। मात्र एक्सपायरी/यूज बाई नहीं लिखने मात्र से सैंपल मिसब्राण्ड नहीं हो सकता है। इसके स्थान पर बेस्ट बिफोर लिखा गया है, जिसमें कोई गलती नहीं है। निवेदन है कि विपक्षी के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही को समाप्त करने की कृपा करें।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिपोर्ट सं. एल.एस./315/एक्ट/2023/344 दिनांक 29.03.2023 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना, Fruit Drink (Alo Frut) निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण मिसब्राण्डेड होना पाया गया। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार लिये गये खाद्य नमूने में Fruit Drink (Alo Frut) में **Nutrition information – Given but perecentage contribution of RDA & quantity of Sòdium is not mention on label of sample. Contravention of Regulation No. 5 (3)(b)(ii)(D) of food safety and standards (Labeling and display) regulations 2020 chapter-2. Use By/Expiry – Absent. Contravention of Regulation No. 5 (10)(a) of food safety and standards (Labeling and display) regulations 2020 chapter-2.** पाया गया। इसलिए लिये गया खाद्य नमूना मिसब्राण्डेड होना पाया गया एवं विपक्षी द्वारा मिसब्राण्डेड Fruit Drink (Alo Frut) विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 52 में निर्धारित है।



धारा 52 में वर्णित है। इस कृत्य के लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 52 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है।

उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुये विपक्षीगणों को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का विपक्षीगणों द्वारा उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलरूप विपक्षी संख्या 01 पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत 5,000/रूपये, विपक्षी संख्या 02 पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत 5,000/रूपये, विपक्षी संख्या 03 पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत 10,000/रूपये, एवं विपक्षी संख्या 04 पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत 30,000/रूपये, शास्ति आरोपित की जाती है। विपक्षीगण उपरोक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक के 90 दिवस के अन्दर जरिये चालान जमा करा, चालान प्रति पेश करें। निर्णय आज दिनांक 29.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
न्याय निर्णय अधिकारी एवं आतिथी जिला मजिस्ट्रेट
आतिथी जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
श्रीनवल (राज.)

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1 अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा को भेजकर लेख हैं कि विपक्षी से निर्णयानुसार शास्ति राशि जमा कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावे।
- 2 परवेश चौधरी पुत्र सुरेन्द्र चौधरी मैसर्स रिलायंस रिटेल लिमि., ग्राउण्ड फ्लोर सुरभी स्कवेयर गायत्री आश्रम के सामने, अजमेर रोड, भीलवाडा को भेजकर लेख हैं कि उक्त शास्ति राशि चालान द्वारा जमा करा, चालान प्रति जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत करे।
- 3 ओम सिंह राजपुरोहित मैसर्स रिलायंस रिटेल लिमि., ग्राउण्ड फ्लोर सुरभी स्कवेयर गायत्री आश्रम के सामने, अजमेर रोड, भीलवाडा को भेजकर लेख हैं कि उक्त शास्ति राशि चालान द्वारा जमा करा, चालान प्रति जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत करे।
- 4 सन्तोष शर्मा (प्रोप.) मैसर्स श्री. मुकेश एन्टरप्राइजेज 444, सचिवालय विहार, रिको इण्डस्ट्रियल एरिया के सामने, न्यू सांगानेर रोड, मानसरोवर, जयपुर - 302020 को भेजकर लेख हैं कि उक्त शास्ति राशि चालान द्वारा जमा करा, चालान प्रति जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत करे।
- 5 अलीशा गुप्ता (नोमिनी) मैसर्स एकजम आयुर्वेद प्रा. लिमि. वार्ड - रामपुर सरसेरी रोड, अम्बाला कान्ट - 133001 (हरियाणा) को भेजकर लेख हैं कि उक्त शास्ति राशि चालान द्वारा जमा करा, चालान प्रति जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत करे।



न्याय निर्णय अधिकारी एवं
न्याय निर्णय अधिकारी एवं आतिथी जिला मजिस्ट्रेट
आतिथी जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
श्रीनवल (राज.)